न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 38/2015

1 सुगनसिंह पुत्र रामुसिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रघुवीर सिंह पुत्र गुगनसिंह।
2 चन्द्रभान सिंह पुत्र भगतुसिंह।
3 मोहनसिंह पुत्र भगतुसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
बखिलाफ आदेश उपखण्ड अधिकारी बुहाना प्रार्थना
पत्र 05/2015 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश
दिनांक 31.03.2015

उपस्थिति :

1. श्री मदनसिंह गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बिजुसिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः—28.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 05/2015 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1627 वाके बुहाना प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण ने काउंटर टी.आई पेश की। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया एवं अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थी अपीलांट को पाबंद किया है इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1627 वाके ग्राम बुहाना में स्थित है। रेस्पोडेन्ट अपीलार्थी की भूमि से सीधा जबरन रास्ता लेना चाहते है इसलिये अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा बाबत दावा पेश किया था। रेस्पोडेन्टगण ने अपीलार्थी के दावा व प्रार्थना पत्र के जवाब के अतिरिक्त प्रतिदावा पेश कर अपीलार्थी के विरूद्ध निषेधाज्ञा चाही थी। आमजन की सुविधा वास्ते अपीलार्थीगण की भूमि में से रास्ता बन्द कर दिया तो आमजन को असुविधा होगी। अपीलार्थी की भूमि के दक्षिण सिरे से सड़क पूर्व से ही मौजुद है परन्तु उक्त सड़क बाबत रेस्पोडेन्टगण का कथन रहा कि सड़क पर बरसात में पानी भर जाने से असुविधा होती है इसलिये अपीलार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाही कि अपीलार्थी अपने टीनेन्सी भूमि के चार दिवारी नहीं बना सकता। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम केवल टिनेन्सी के अधिकारों की सुरक्षा करता है यदि कोई व्यक्ति टीनेन्ट के खेत के उपयोग उपभोग में बाधा पहुंचाता है तो उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है लेकिन अन्य व्यक्ति टिनेन्ट के खेत में से सुखाधिकार क्लेम करता है उस सुरत में सुखाधिकार चाहने वाले व्यक्तियों को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रतिनिधि हैसियत में सिविल न्यायालय में दावा करने पर सहायता मिल सकती है। सुखाधिकार बाबत प्रतिदावा राजस्व न्यायालय में श्रवणाधिकार के होने से नहीं आता है। विचारण न्यायालय ने बिना क्षेत्राधिकार के आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्टगण नं. 1 से 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे भूमि खसरा नम्बर 1627 ग्राम बुहाना में अपीलार्थी को दीवार बनाने व अपने भुखण्ड के उपयोग उपभोग करने में बाधा नहीं पहुंचाये तथा उक्त भुखण्ड में रास्ता कायम नहीं करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 1628 से सटकर आम रास्ता है। जो पहले भी खसरा नम्बर 1627 में से गुजरता था तथा प्रार्थी ने 0.625 हैक्टेयर भूमि खरीद कर उसमें प्लाट बना दिये तथा आम रास्ता जो कटान का था उसमें भी काट दिये तथा प्रार्थी ने गांव के लोगो से मौखिक समझोतानुसार उस समय सार्वजनिक रास्ते के रूप में खसरा नम्बर 1628 से सटकर आम सार्वजनिक रास्ता छोड़ा गया था जिसे प्रार्थी प्रार्थना पत्र की आड़ में अवरूद्ध कर उसमें निर्माण कार्य करना चाहता है। वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 1727 व 865 के मध्य कदिमी कटानी रास्ता है। खसरा नम्बर 1727 में से प्रार्थी ने 0.625 हैक्टेयर भूमि खरीद कर उसमें प्लाट बना दिये एवं कदिमी रास्ते की एवज में खसरा नम्बर 1628 से सटकर रास्ता छोड़ा गया था। उक्त आम रास्ते से सभी आमजन आवागमन करते है क्योंकि मुख्य सड़क हमेशा पानी का भराव रहता है जिससे सड़क से आवागमन में परेशानी रहती है विद्यालयों में जाने वाले छोटे–2 बच्चे, वृद्ध व्यक्ति व विकलांग लोगो को सड़क के रास्ते से आवागमन में परेशानी रहती है तथा ना ही छोटे वाहन सड़क के रास्ते से आवागमन नही कर सकते, इसी वजह से सभी आमजन उपरोक्त रास्ते से आवागमन करते हैं तथा उक्त रास्ता आम व कादिमी रास्ता है। अगर उक्त रास्ते को प्रार्थी द्वारा निर्माण कर बन्द कर दिया जाता है तो आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तथा छोटे बच्चों को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्यालय जाना असंभव हो जायेगा। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1628 से सटकर आम रास्ता है जो पहले भी खसरा नम्बर 1627 में से गुजरता था तथा प्रार्थी ने 0.625 हैक्टेयर भूमि खरीद कर उसमें प्लाट बना दिये तथा आम रास्ता जो कटान का था उसमें भी काट दिये तथा प्रार्थी ने गांव के लोगो से मौखिक समझोतानुसार उस समय सार्वजनिक रास्ते के रूप में खसरा नम्बर 1628 से सटकर आम सार्वजनिक रास्ता छोड़ा गया था जिसे प्रार्थी प्रार्थना पत्र की आड़ में अवरूद्ध कर उसमें निर्माण कार्य करना चाहता है। वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 1727 व 865 के मध्य कदिमी कटानी रास्ता है। खसरा नम्बर 1727 में से प्रार्थी ने 0.625 हैक्टेयर भूमि खरीद कर उसमें प्लाट बना दिये एवं कदिमी रास्ते की एवज में खसरा नम्बर 1628 से सटकर रास्ता छोड़ा गया था। उक्त आम रास्ते से सभी आमजन आवागमन करते है क्योंकि मुख्य सड़क हमेशा पानी का भराव रहता है जिससे सड़क से आवागमन में परेशानी रहती है विद्यालयों में जाने वाले छोटे–2 बच्चे, वृद्ध व्यक्ति व विकलांग लोगो को सड़क के रास्ते से आवागमन में परेशानी रहती है तथा ना ही छोटे वाहन सड़क के रास्ते से आवागमन नही कर सकते, इसी वजह से सभी आमजन उपरोक्त रास्ते से आवागमन करते हैं तथा उक्त रास्ता आम व कदिमी रास्ता है। अगर उक्त रास्ते को प्रार्थी द्वारा निर्माण कर बन्द कर दिया जाता है तो आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तथा छोटे बच्चों को विद्यालय जाना असंभव हो जायेगा। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर